

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(स्वास्थ्य भवन)

दुरभाष नम्बर-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/X-22-00573/2024/ 224 दिनांक:- 14/5/24

—:आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (गुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ. 15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग ऑफिसर/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान/एसीपी एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन श्रृंखला
1.	मीनी सूक्, म0स्वा0कार्य0	जोधपुर	04.02.1994	04.02.2021 27 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12
2.	मीना देवी शर्मा, म0स्वा0कार्य0	जोधपुर	21.01.1994	21.01.2021 27 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12
3.	लवलेश शर्मा म0स्वा0कार्य0	क0रा0बी0औ0 नम्बर-3 जोधपुर	12.10.1992	12.10.2019 27 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12
4.	गीता के.के., म0स्वा0कार्य0	बीसीएमओ- पिण्डवाडा (सिरोही)	04.04.1994	04.04.2021 27 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12

उक्त कार्मिको के वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किये जावेंगे।

नोट:- उक्त कार्मिको के 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान है तो उक्त आदेश उन पर प्रभावी नहीं होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/X-22-00573/2024/ 224 दिनांक:- 14/5/24

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन जोधपुर राजस्थान।
- संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश /रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6802620

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

E- File/Order 2024

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :13-05-2024 03:35:37